प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 31.05.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा झपट्टेमारी व छिनैती के मामले में 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी एसओजी व थाना मेंहदावल पुलिस की संयुक्त गठित टीम द्वारा झपट्टेमारी व छिनैती के 02 अभियुक्तगण को मेंहदावल-नौलखा मार्ग मुहिया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अनावरण हुये घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी श्री इरशाद अहमद पुत्र मो0 अली निवासी अछिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 23.05.2026 की शाम मेरी माँ घर के सामने बैठी थी तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और मेरी माँ से पानी मांगने के बहाने करीब आकर एक व्यक्ति मेरी माँ के गले में पहने हुए सोने की चैन को जबरन छीन कर भाग गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 223/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- मो0 कामिल उर्फ अली पुत्र नौशाद अली निवासी सीधारीपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
- मो0 अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे पुत्र स्व0 अब्दुल समद ग्राम सुन्नीपुर निकट गीता प्रेस थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे नशे के आदी हैं तथा आर्थिक तंगी होने पर विभिन्न स्थानों पर घूम-घूमकर झपट्टामारी, छिनैती एवं चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभियुक्त मो० अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे ने बताया कि वर्ष 2020 में चोरी से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर अपने साथ रहने वाले एक मित्र से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान नशे की हालत में उसने पत्थर से सिर पर तथा ब्लेड से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त मो० अहमद के कब्जे से अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 21.05.2026 को चोरी की गई मोटरसाइकिल की तेल टंकी का ढक्कन खुला हुआ था, जिससे वाहन चलाते समय तथा स्पीड ब्रेकर पर पेट्रोल उछलकर उनके ऊपर गिर रहा था। इस कारण उन्होंने उक्त मोटरसाइकिल को लाल डिग्गी क्षेत्र के आसपास छोड़ दिया था। अभियुक्तों ने आगे बताया कि उसी दिन रात्रि लगभग 09:00 बजे, थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर क्षेत्रान्तर्गत जगनाथपुर वनकटी चक दुर्गा मंदिर के पास से एक अन्य मोटरसाइकिल चोरी की थी। चोरी के बाद दोनों अभियुक्त अपने ठिकाने पर जाकर सो गए। अभियुक्तों ने बताया कि गोरखपुर शहर में अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण वे वहां चेन स्नैचिंग अथवा लूट की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सके। इसलिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया। घटना के दौरान वे कैप पहनकर तथा मुंह ढककर चलते थे, जिससे उनकी पहचान न हो सके। साथ ही वे अपने पास मिर्च पाउडर भी रखते थे, ताकि विरोध होने पर उसे फेंककर आसानी से फरार हो सकें। थाना क्षेत्र में घटित चैन स्नैचिंग की घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 23.05.2026 को ग्राम अछिया में एक महिला से पानी मांगने के बहाने उसके गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए थे। उक्त सोने की चेन को उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को ₹25,000/- में बेच दिया था। अभियुक्तों के पास से बरामद धनराशि के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि बरामद रुपये उसी सोने की चेन को बेचने से प्राप्त धनराशि का हिस्सा हैं, जबकि शेष धनराशि खाने-पीने एवं अन्य आवश्यक खर्चों में व्यय कर दी गई। अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है।

बरामदगी-

- 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा
- 04 अदद मोबाईल
- लाल मिर्च पाउडर
- 01 अदद पर्स

- चाभी का गुच्छा
- 06 अदद सिम
- 01 अदद मोटरसाइकिल

- 10000 रुपया नगद

थाना मेंहदावल पर गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर मु0अ0स0 226/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 कामिल उर्फ अली पुत्र नौशाद अली निवासी सीधारीपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 73/2026 धारा 110,115(2), 191(2), 191(3), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 52/2025 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।
गिरफ्तार अभियुक्त मो0 अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे पुत्र स्व0 अब्दुल समद ग्राम सुन्नीपुर निकट गीता प्रेस थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 807/2020 धारा 201,302 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 24/2021 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
मु0अ0सं0 153/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना कोतवाली गोरखपुर जनपद गोरखपुर।
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण:-

- प्रभारी एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 अनुप राय, का0 दीपक सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 शुभम सिंह , का0 विवेक मिश्रा।
- निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 रामरतन तिवारी, हे0का0 सुरेन सिंह, का0 अनुराग कुमार सिंह, रि0का0 विशाल निषाद।
- एण्टी थेप्ट सेल का0 वीर बहादुर यादव, का0 अरुण हलवाई।
- का0 ज्ञानप्रकाश सिंह सर्विलांस टीम संतकबीरनगर।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 50,000/- रुपये की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अंन्तर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 50,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- वादी असजद हुसैन पुत्र अतहर हुसैन निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी कि दिनाँक 11.02.2026 को एक व्यक्ति द्वारा कोयला उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे धनराशि प्राप्त कर ली गयी, किन्तु न तो कोयला उपलब्ध कराया गया और न ही धनराशि वापस की गयी। शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते में ₹50,000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गयी।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण:- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव, का0 मनोज यादव, म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील :- जनपद पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर विश्वास न करें तथा अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. रामवृक्ष उर्फ अजय पुत्र हरिराम साकिन सरैया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार तिवारी, का0 सुरेश प्रसाद।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रमजान पुत्र आशिक अली 2. अयूब पुत्र आशिक अली निवासीगण परसा शेख थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सतीश तिवारी, उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिहं।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. संदीप कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी नगर पंचायत बेलहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 विजय कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 29 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 15 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भिजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत भडारी चौराहा से कालर द्वारा ट्रक और बाईक में आमने-सामने टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1. रामायण पाण्डेय पुत्र आदित्य प्रकाश पाण्डेय सा0 ददूवा मराठा थाना अज्ञात जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अभिषेक मिश्रा, हो0चा0 परमेश्वर।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 498 वाहनों से 6,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 498 वाहनों से 6,16,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 416/2026 धारा 64(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता हरिचन्द्र पुत्र चन्द्रभान शर्मा निवासी उमरीकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 31.05.2026 को सरैया बाइपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 21.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री का हाथ पकड़ने व गलत नीयत से खींचकर ले जाने तथा बार बार परेशान करने, मारपीट करने व गाली, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी तथा आज दिनाँक 31.05.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अजीत कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 31.05.2026 को मु0अ0सं0 274/2026 धारा 87, 137(2), 351(2), 61(2), 64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 व 5J(ii)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त धीरज उर्फ नीरज पुत्र खेताहू निवासी दुघरा उर्फ खैरा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को उमरिया बाजार दुर्गा मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.05.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म व पीड़िता के गर्भवती होने का अपराध पाये जाने पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनाँक 31.05.2026 को उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, हे0का0 बदरे आलम ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 347/2026 धारा 109, 115(2), 61(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण नाम पता 01. भोलेनाथ पुत्र हरिभजन 02. दुधनाथ पुत्र हरिभजन निवासीगण औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 31.05.2026 को उनके घर ग्राम औराडाड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 30.05.2026 को वादी श्री शेषनाथ कसौधन पुत्र हरिभजन कसौधन निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दिया गया कि दिनाँक 29.05.2026 को जब प्रार्थी का भाई मारखण्डे दुकानों पर सामान देकर घर वापस आ रहे थे कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी पट्टीदारी की रंजिस को लेकर योजना बनाकर जान की मारने के नियत से रास्ते मे ग्राम बजरा व तिघरा के बीच अपने अपने हाथ मे कुल्हाड़ी लोहे का राड़ व डण्डा लेकर बैठे थे। जैसे ही मेरा भाई मारखण्डे मोटर साइकिल से वहाँ पहुचे सभी लोगो ने घेर लिया और जान से मारने की नियत से लोहे के राड व कुल्हाड़ी से अचानक हमला कर दिये, जिससे मारखण्डे के सिर में तथा पूरे शरीर मे काफी गंभीर चोटे आयी तथा मारखण्डे वही मौके पर ही गिर गये, मरा हुआ समझकर उपरोक्त लोग मौके से भाग गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्तगण को आज दिनाँक 31.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, का0 रवि चौरसिया, रि0का0 रामकृष्ण तिवारी।